SBI
हर भारतीय का बैंक

समृद्ध, उज्ज्वल कल के लिए साझेदारी
Partnering for a prosperous, brighter tomorrow

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उपलब्ध सरकारी योजनाएं
Government Schemes from State Bank of India

अंतर्वस्तु / Contents

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	3
PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi)	5
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	6
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	8
स्टैंड–अप इंडिया	9
Stand-Up India	11
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	12
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	14
दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम):	15
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)	17
पीएम–विश्वकर्मा	18
PM Vishwakarma Yojana	21
सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)	22
SELF EMPLOYMENT SCHEME FOR REHABILITATION OF MANUAL SCAVENGERS (SRMS)	24
वीवर्स क्रेडिट कार्ड (डबल्यूएमएस)	25
WEAVER'S CREDIT CARD (WMS)	26
विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)	27
DIFFERENTIAL RATE OF INTEREST (DRI)	29

योजना

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

लाभार्थी

जो स्ट्रीट वेंडर 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले से शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य में लगे हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि शहरों के आसपास/ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को भाग–2 के तहत 20,000 रुपये और भाग– III के तहत 50,000 रुपये के ऋण दोबारा दिए जाने का प्रावधान है।

लक्ष्य

अतिरिक्त लाभ के साथ अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट के साथ स्ट्रीट वेंडर्स (एसवी) का समर्थन करना।
पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करती है:

- ऋण की नियमित चुकौती पर ब्याज सब्सिडी 7% प्रति वर्ष
- निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर प्रति वर्ष रु.1200/– तक का कैशबैक
- ऋण की बढ़े हुए अगले भाग के लिए पात्रता

ऋण की मात्रा

भाग 1: अधिकतम रु. 10,000/–
भाग 2: ऋण राशि: न्यूनतम रु. 15,000/– अधिकतम रु. 20,000/– तक
ऋण राशि: न्यूनतम रु. 30000/– अधिकतम रु. 50000/– तक

मार्जिन

शून्य

चुकौती

भाग 1: एक वर्ष (समान मासिक किश्तों में – ईएमआई)
भाग 2: अवधि: न्यूनतम: 12 महीने (ईएमआई) – अधिकतम 18 महीने (ईएमआई)
भाग 3: अवधि: न्यूनतम: 18 महीने (ईएमआई) – अधिकतम 36 महीने (ईएमआई)

ब्याज दर

ईबीएलआर 8.15% + 3.25% =11.40 दिनांक 15.06.2025 से प्रभावी

ब्याज सब्सिडी

योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता 7% ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं।

क्रेडिट गारंटी

योजना के तहत क्रेडिट सुविधा सीजीटीएमएसई के तहत कवर की जाएगी, अधिकतम गारंटी कवरेज किसके लिए होगा?
भाग 1– पोर्टफोलियो का 31.875%
भाग 2– पोर्टफोलियो का 8.25%
भाग 3– पोर्टफोलियो का 6%

Scheme

PM Street Vendor's Atma Nirbhar (PM SVANIDHI)

Beneficiaries

Street vendors engaged in vending in urban areas as on or before March 24, 2020. The scheme intends to facilitate collateral - free working capital loans of up to ₹10,000/- of one-year tenure, to approximately 50 lakh street vendors, to help resume their businesses in the urban areas, including surrounding peri-urban/rural areas. Further the scheme supports SVs with repeat loans of ₹20,000 under tranche -II and ₹50,000 under tranche-III.

Purpose

To support the Street Vendors (SVs) with credit for working capital to resume their business along with additional benefits.
The PM SVANidhi scheme offers incentives in the form of:

- interest subsidy @ 7% per annum on regular repayment of loan
- cashback up to ₹1200/- per annum on undertaking prescribed digital transactions
- eligibility for enhanced next tranche of loans

Loan Quantum

Tranche 1: Maximum ₹10,000/-
Tranche 2: Loan amount: Min ₹ 15,000/- up to Max ₹20,000/-
Loan amount: Min ₹ 30000/- up to Max ₹ 50000/-

Margin

Nil

Repayment

Tranche 1: 1 year (In Equal Monthly Instalments - EMI).
Tranche 2: Tenure: Min: 12 Months (EMI) – Max 18 Months (EMI).
Tranche 3: Tenure: Min: 18 Months (EMI)- Max 36 Months (EMI).

ROI

EBLR (8.15 w.e.f. 15.06.2025) EBLR + 3.25% =11.40
(effective rate)

Int. Subvention

The vendors, availing loan under the scheme, are eligible to get an interest subsidy @ 7%.

Credit Guarantee

The credit facility under the scheme will be covered under CGTMSE, Maximum guarantee coverage will be for
Tranche 1- 31.875% of portfolio
Tranche 2- 8.25% of portfolio
Tranche 3- 6% of portfolio

योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

लाभार्थी

संबद्ध कृषि गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यम।

लक्ष्य

देश में सूक्ष्म उद्यमों/इकाइयों को ऋण के माध्यम से आजीविका और आय सृजन को बढ़ावा देना।

ऋण की मात्रा

- शिशु – रु. 50,000 तक का ऋण
- किशोर – 50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण
- तरुण – रु. 5 लाख से रु. 10 लाख से अधिक का ऋण
- तरुण प्लस– रु. 10 लाख से रु. 20 लाख से अधिक का ऋण (उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है).

मार्जिन

रु. 50,000 तक – शून्य
रु. 50,001 ते रु. 20 लाख – 20%

चुकौती

- टीएल/ड्रॉपलाइन ओडी – रु. 5 लाख से कम: अधिकतम 5 वर्ष जिसमें अधिकतम 6 महीने तक की अधिस्थगन अवधि शामिल है.
- टीएल/ड्रॉपलाइन ओडी – रु. 5 लाख से रु 20 लाख तक: अधिकतम 7 वर्ष जिसमें अधिकतम 12 महीने तक की अधिस्थगन अवधि शामिल है
- सीसी: मांग पर

ब्याज दर

ईबीएलआर 8.15% + 3.25% =11.40 दिनांक 15.06.2025 से प्रभावी

क्रेडिट गारंटी

सभी मुद्रा ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के गारंटी कवर के तहत कवर किए जाएंगे। प्रीमियम राशि उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। ईबीएलआर 8.65% 15.04.2025 से प्रभावी

Scheme

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

Beneficiaries

Beneficiaries - Business Enterprises in Manufacturing, Trading and Services Sector including allied agricultural activities.

Purpose

To promote livelihood and income generation through credit to micro enterprises / units in the country.

Loan Quantum

- Shishu - Loan up to R. 50,000
- Kishore - Loan from 50,001 to Rs. 5 lakh
- Tarun - Loan above Rs. 5 lakh to Rs 10 lakh
- Tarun Plus-Loan above Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh (For those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the 'Tarun' category).

Margin

Up to Rs. 50,000 - Nil
Rs. 50,001 to Rs. 20 lakh - 20%

Repayment

- TL/Dropline OD - below Rs. 5 lakh: Max. 5 years including maximum moratorium period of upto 6 months.
- TL/Dropline OD - from Rs. 5 lakh to Rs. 20 lakh: Max. 7 years including maximum moratorium period of up to 12 months
- CC: On Demand

ROI

Present effective rate = 8.15%+3.25% = 11.40% (w.e.f. 15.06.2025) for Individual Customers

Credit Guarantee

All Mudra loans to be covered under the guarantee cover of Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU). Premium amount to be borne by the borrower. EBLR 8.65 w.e.f 11.04.25

योजना	स्टैंड-अप इंडिया
लाभार्थी	अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमी। स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
उद्देश्य	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने, संबद्ध गतिविधियों के लिए।
ऋण की मात्रा	समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) 10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक.
मार्जिन	इस योजना में 15% मार्जिन की परिकल्पना की गई है जिसे पात्र केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अभिसरण में प्रदान किया जा सकता है।
चुकौती	ऋण 18 महीने की अधिकतम अधिस्थगन अवधि के साथ 7 वर्षों में चुकाया जाना है।
ब्याज दर	ईबीएलआर+3.25% (8.15% + 3.25% = 11.40% 15.06.2025 से प्रभावी)
ब्याज सब्सिडी	शून्य
क्रेडिट गारंटी	सीजीएसएसआई – अधिकतम 80%

Scheme	Stand-Up India
Beneficiaries	Beneficiaries Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) and Women Entrepreneurs. Stand-Up India Scheme Facilitates bank loans between Rs. 10 lakh and Rs. 1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one-woman borrower per bank branch for setting up a Greenfield Enterprise.
Purpose	For setting up a new enterprise in manufacturing, trading, or services sector, allied activities by SC/ST/Women entrepreneur.
Loan Quantum	Composite loan (inclusive of term loan and working capital) above 10 lakh and up to Rs. 1 Crore.
Margin	The Scheme envisages 15% margin money which can be provided in convergence with eligible Central / State schemes.
Repayment	The loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months.
ROI	EBLR (8.15% w.e.f. 15.06.2025) EBLR + 3.25% =11.40 (effective rate)
Int. Subvention	NIL
Credit Guarantee	Credit Guarantee CGSSI – Max of 80%

योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

लाभार्थी

- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।
  विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत सहायता केवल विशेष रूप से पीएमईजीपी के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
- स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, जिन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है) भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/धर्मार्थ न्यास।
- मौजूदा इकाइयां और इकाइयां जो पहले से ही भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

लक्ष्य

- नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- व्यापक रूप से बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- कारीगरों की मजदूरी–अर्जन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की विकास दर में वृद्धि में योगदान देना।

ऋण की मात्रा

विनिर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये है। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत रु. 20 लाख है.
(विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपये है)।

मार्जिन

सामान्य श्रेणी 10% (विशेष श्रेणी –5% –एससी / एसटी / ओबीसी आदि)

चुकौती

3 से 7 वर्ष

ब्याज दर

ईबीएलआर+3.25% (8.15% + 3.25% = 11.40% 15.06.2025 से प्रभावी)

ब्याज सहायता

सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईसी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई परियोजना लागत के 15% से 35% तक है।

क्रेडिट गारंटी

सीजीएफएमयू (रु. 10 लाख तक)/सीजीटीएमएसई (रु. 10 लाख से अधिक)

Scheme

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

Beneficiaries

- Any individual, above 18 years of age.
- For setting up of project costing above Rs. 10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business / service sector, the beneficiaries should possess at least VIII standard pass educational qualification.
- Assistance under the scheme is available only for new projects sanctioned specifically under the PMEGP.
- Self Help Groups (including those belonging to BPL provided they have not availed benefits under any other Scheme) are also eligible for assistance under PMEGP.
- Institutions registered under Societies Registration Act, 1860/ Production Co-operative Societies/ Charitable Trusts.
- Existing units and units who have already availed Government Subsidy under any other scheme of Government of India/ State Government are not eligible.

Purpose

- To generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up of new self-employment ventures/projects/micro enterprises.
- To bring together widely dispersed traditional artisans/ rural and urban unemployed youth and give them self-employment oppotunities.
- To increase the wage-earning capacity of artisans and contribute to increase in the growth rate of rural and urban employment.

Loan Quantum

The maximum cost of the project/unit admissible under manufacturing sector is Rs. 50 lakh. The maximum cost of the project/unit admissible under business/service sector is Rs.20 lakh.
(For upgradation of project under manufacturing Sector is Rs. 1.00 crores).

Margin

General Category 10% (Special Category-5%-SC/ST/OBC etc.)

Repayment

3 to 7 years

ROI

EBLR 8.15+3.25%, Presently effective rate is 11.40% p.a. w.e.f 15.06.2025)

Int. Subvention

The subsidy ranging from 15% to 35% of project cost provided by Government of India through Khadi and Village Industries Boards (KVIC).

Credit Guarantee

CGFMU (Up to Rs.10 lakh)/ CGTMSE (Above Rs. 10 lakh)

योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरीआजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)

लाभार्थी

इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करना है जिसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर गरीबों की सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में पर्याप्त सुधार हो।

लक्ष्य

इस योजना में वेंडर/फेरीवालों सहित शहरी गरीबों के कौशल, प्रशिक्षण, अभिरुचि और स्थानीय दशाओं के अनुकूल लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम/लघु उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तियों/समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम शहरी गरीबों के स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने और एसएचजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने में भी सहायता करता है।

ऋण की मात्रा

व्यक्ति:
परियोजना लागत (पीसी): एक व्यक्ति के लिए अधिकतम माइक्रो–एंटरप्राइज इकाई परियोजना लागत 2 लाख रुपये है।
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या डीएवाई–एनयूएलएम के तहत गठित एसएचजी के सदस्य
परियोजना लागत (पीसी): समूह अधिकतम ऋण के लिए पात्र होगा
रु. 2 लाख प्रति सदस्य या रु. 10 लाख, जो भी कम हो.

मार्जिन

व्यक्ति के लिए मार्जिन मनी:
रु. 50,000 तक शून्य
रु. 50,000 से अधिक परियोजना लागत का 5 से 10%
एसएचजी के लिए मार्जिन मनी:
रु. 50,000 तक शून्य
रु. 50,000 से अधिक परियोजना लागत का 5 से 10%

चुकौती

6–18 महीने के प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद 5 से 7 वर्ष।

ब्याज दर

ईबीएलआर+3.25% (8.15% + 3.25% = 11.40% 15.06.2025 से प्रभावी)

ब्याज सहायता

बैंक ऋणों पर ब्याज की 7% दर से अधिक

क्रेडिट गारंटी

सीजीटीएमएसई गारंटी कवर उपलब्ध है

Scheme

Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)

Beneficiaries

Scheme intends to reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor.

Purpose

The scheme provides financial assistance to individuals/ groups including street venders/hawkers of urban poor for setting up gainful self- employment ventures/ micro-enterprises, suited to their skills,training, aptitude and local conditions. The Programme also supports Self Help Groups (SHGs) of urban poor to access easy credit from bank and avail interest subsidy on SHG loans.

Loan Quantum

Individual:
Project Cost (PC): The Maximum unit Project Cost for an individual micro-enterprise is Rs. 2 lakh.
Self Help Group (SHG) or members of an SHG constituted under DAY-NULM
Project Cost (PC): The group will be eligible for a maximum loan of Rs. 2 lakh per member or Rs. 10 lakh, whichever is lower.

Margin

Margin Money for Individual:
Up to Rs. 50,000 – Nil
Above Rs. 50,000 – 5 to 10% of the project cost
Margin Money for SHG:
Up to Rs. 50,000 – Nil
Above Rs. 50,000 – 5 to 10% of the project cost

Repayment

5 to 7 Years after initial moratorium of 6-18 months.

ROI

Present effective rate = 8.15%+3.25% = 11.40% (w.e.f. 15.06.2025) for Individual Customers

Int. Subvention

Over and Above 7% rate of interest on Bank Loans

Credit Guarantee

CGTMSE guarantee cover available

योजना

पीएम–विश्वकर्मा योजना

लाभार्थी

18 चिन्हित लक्ष्य समूहों के कारीगरों और शिल्पकारों (विश्वकर्मा) को ऋण सहायता (मांग ऋण) प्रदान करना।

18 लक्ष्य समूह

1. बढ़ई (सुथार)
2. नाव निर्माता
3. शस्त्रागार
4. लोहार
5. हथौड़ा और टूल किट निर्माता
6. ताला बनाने वाला
7. मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला
8. सुनार
9. कुम्हार
10. मोची (चारमेकर)/जूता बनाने वाला/जूते का कारीगर
11. राजमिस्त्री
12. टोकरी/चटाई/निर्माता/कॉर बुनकर
13. गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
14. नाई
15. माली(मालाकार)
16. धोबी
17. दर्जी
18. मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला

प्रयोजन

- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- कौशल निखारने हेतु कौशल उन्नयन प्रदान करना।
- उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- समपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना तथा ब्याज अनुदान प्रदान कर ऋण लागत कम करना।
- विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजिटल लेनदेन के लिए सहायता प्रदान करना।
- विश्वकर्मा समुदाय को विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में सहायता करने के उद्देश्य से ब्रांड प्रमोशन और बाजार संपर्क हेतु मंच प्रदान करना।

ऋण मात्रा

ऋण दो किश्तों में दिया जाता है।
प्रथम किश्त–रु.1,00,000/–
द्वितीय किश्त–रु.2,00,000/–(प्रथम किश्त के संतोषजनक संवरण के पश्चात)

चुकौती

किश्त– 18 माह (ईएमआई – समान मासिक किस्तें)
किश्त–30 माह (ईएमआई – समान मासिक किस्तें)

निवेश पर प्रतिफल

ईबीएलआर 8.15% + 3.25% (प्रभावी दर 11.40%) दिनांक 15.06.2025 से प्रभावी लाभार्थियों से लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की रियायती दर 5% निर्धारित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज सहायता 8% तक होगी।

ब्याज अनुदान

लाभार्थियों से लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की रियायती दर 5% निर्धारित की जाएगी।

Scheme

PM Vishwakarma Yojana

Beneficiaries

To Credit support (Demand Loans) to artisans and craftspeople (Vishwakarma) for 18 identified target groups.

18 Target Groups

1. Carpenter (Suthar)
2. Boat Maker
3. Armourer
4. Blacksmith (Lohar)
5. Hammer and Tool Kit Maker
6. Locksmith
7. Sculptor (Moortikar, Stone Carver), Stone Breaker
8. Goldsmith (Sunar)
9. Potter (Kumhaar)
10. Cobbler (Charmaker)/Shoesmith/Footwear Artisan
11. Masons (Raaj Mistri)
12. Basket/Mat/Broom Maker/Cor Weaver
13. Doll & Toy Maker (Traditional)
14. Barber (Naai)
15. Garland Maker (Malakaar)
16. Washerman (Dhobi)
17. Tailor (Darzi)
18. Fishing Net Maker

Purpose

- To enable the recognition of artisans and craftsman as Vishwakarma.
- To provide skill upgradation to hone the skills.
- To provide support for better and modern tools to enhance Vishwakarma's capability, productivity and quality of products.
- To provide an easy access to collateral free credit and reduce the cost of credit by providing interest subvention.
- To provide incentives for digital transaction to encourage the digital empowerment of the Vishwakarmas.
- To provide a platform for brand promotion and market linkages to help the Vishwakarmas access new opportunities for growth.

Loan Quantum

Loan is given in two Tranches.
1st Tranche - Rs. 1,00.000/-
2nd Tranche - Rs. 2,00,000/- (After satisfactory closure of 1st Tranche).

Repayment

1st Tranche – 18 months (EMI -Equal Monthly Instalments)
2nd Tranche – 30 months (EMI -Equal Monthly Instalments)

ROI

Present effective rate = 8.15%+3.25% = 11.40% (w.e.f. 15.06.2025) for Individual Customers

Int. Subvention

Concessional rate of interest chargeable for loans from beneficiaries will be fixed at 5%.

योजना

सफाई कामगारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

लाभार्थी

- सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) जनवरी, 2007 में शुरू की गई थी ताकि सिर पर मैला ढोने वाले चयनित व्यक्तियों के पुनर्वास और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जा सके। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उद्देश्य

- मैला ढोने वाले चिन्हित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तथा स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं या चिन्हित परियोजनाओं, जिनके लिए उन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, को चलाने के लिए सफाई कामगारों को सहायता प्रदान करना।

वित्त की मात्रा

- व्यक्तिगत के लिए अधिकतम परियोजना लागत 15.00 लाख रुपये
- एसएचजी/समूह के लिए रु. 10.00 लाख प्रति लाभार्थी अधिकतम परियोजना लागत रु. 50.00 लाख
- इस परियोजना में सामान्य परियोजनाओं के साथ–साथ स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं शामिल होंगी। परियोजनाओं की एक निर्देशात्मक सूची, जिसका चयन लाभार्थियों द्वारा किया जा सकता है, अनुबंध– में दी गई है।

चुकौती

- 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण चुकौती की अवधि, अधिस्थगन अवधि सहित, 5 वर्ष होगी और
- 7 वर्ष या 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए ऋण चुकौती शुरू करने के लिए स्थगन अवधि 6 महीने की होगी।

ब्याज दर

- कैश क्रेडिट और टर्म लोन दोनों के लिए
- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए वर्तमान प्रभावी दर =
- ईबीएलआर 8.15% + 3.25% (प्रभावी दर 11.40%) दिनांक 15.06.2025 से प्रभावी

एसआरएमएस और ब्याज सब्सिडी के तहत निर्धारित ब्याज दर

- रु. 1.00 लाख तक की परियोजना – 5% प्रति वर्ष (महिला लाभार्थियों के लिए 4%)
- रु. 1.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना– 6% प्रति वर्ष

मार्जिन

- रु. 5.00 लाख तक– पीसी का 50%
- रु. 5.00 लाख से अधिक और रु. 15.00 लाख तक
- रु. 2.5 लाख + शेष परियोजना लागत का 25% (अधिकतम पूंजी सब्सिडी रु. 5.00 लाख)

Scheme

Self Employment Scheme For Rehabilitation Of Manual Scavengers (SRMS)

Beneficiaries

- The Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) was launched in January 2007, for rehabilitation of identified manual scavengers and providing assistance for sanitation related projects. The scheme is implemented by Ministry of Social Justice and empowerment, Government of India.

Purpose

- For rehabilitation of identified manual scavengers and providing assistance to sanitation workers for running sanitation related projects or identified projects for which they have acquired necessary training.

Quantum of Finance

- For Individual Maximum Project cost of Rs.15.00 lakhs.
- For SHG/Group Rs 10.00 lac per beneficiary Maximum Project cost of Rs. 50.00 lakhs
- The project would include general projects as well as sanitation related projects. An indicative list of projects, which may be selected by the beneficiaries is given as Annexure-I.

Repayment

- The period of repayment of loan, including moratorium period will be 5 years for the projects up to Rs. 5 lac and
- 7 years or the projects above Rs. 5 Lac with a moratorium period to start the repayment of loan will be up to 6 months.

ROI

- For both CC and TL
- Present effective rate = 8.15%+3.25% = 11.40% (w.e.f. 15.06.2025) for Individual Customers

Rate of interest prescribed under SRMS and Interest subsidy

- Project costing up to Rs. 1.00 lakh- 5% p.a. (4% for women beneficiaries)
- Project Costing above Rs. 1.00 lakh- 6% p.a

Margin

- Up to Rs. 5.00 lakh- 50% of the P.C
- Beyond Rs. 5.00 lakh and up to Rs. 15.00 lakh-
- Rs. 2.5 lakh+25% of remaining project cost (maximum capital subsidy Rs. 5.00 lakh)

योजना — वीवर्स क्रेडिट कार्ड (डबल्यूएमएस)

लाभार्थी
- हथकरघा क्षेत्र में बुनाई संबंधी कार्यकलापों में संलग्न बुनकर तथा सहायक श्रमिक।

उद्देश्य
- कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के साथ–साथ बुनाई संबंधी कार्यकलापों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु।

ऋण मात्रा
- व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी के लिए न्यूनतम रु.50,000/– अधिकतम रु.200000/– तथा हथकरघा संगठन/इकाई उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम रु.2.00 करोड़ (तथापि, 10 लाख रुपए तक के ऋण को मुद्रा ऋण के तहत रिपोर्ट किया जाएगा)।

मार्जिन
- ऋण राशि का 20%

सीमा का आकलन
- टर्नओवर पद्धति पर आधारित कार्यशील पूँजी अर्थात बैंक वित्त टर्नओवर का 20% होगा और टर्नओवर का 5% उधारकर्ता का मार्जिन होगा।
- अतएव, सावधि ऋण का मूल्यांकन परियोजना लागत और चालान के आधार पर किया जाएगा।
- (10 लाख रुपए तक का ऋण – पात्रता का आकलन करने के उद्देश्य से, परिपत्र संख्या एनबीजी/एसएमईबीयू–पीएमएमवाई/28/2019–20 दिनांक 24.07.2019 के अनुसार मुद्रा स्कोरिंग मॉडल का उपयोग किया जाना है)।
- व्यक्तिगत उधारकर्ता के अलावा – बैंक मानदंडों के अनुरूप

लागत पर लाभ
- ईबीएलआर 8.15% + 3.25% =11.40% 15.06.2025 से प्रभावी

कार्ड जारी करना
- कार्यशील पूँजी ऋण के लिए मुद्रा रुपे कार्ड जारी किया जाएगा तथा समस्त कार्यशील पूँजी का भुगतान मुद्रा रुपे कार्ड (अधिकतम–10 लाख रुपए) के माध्यम से किया जाएगा। सावधि ऋण आपूर्तिकर्ता के खाते में संवितरित किए जाएंगे।

प्रतिभूति : प्राथमिक संपार्श्विक
- प्राथमिक: बैंक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन
- संपार्श्विक: खाते सीजीटीएमएसई गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय ने लाभार्थी के खाते में मार्जिन, ब्याज, क्रेडिट गारंटी शुल्क और सब्सिडी के विनियोजन की सुविधा के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। शाखाओं को ग्राहकों के खाते या बैंक के खाते से डेबिट करके गारंटी कवरेज के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अलावा – बैंक मानदंडों के अनुरूप प्राथमिक/संपार्श्विक सुरक्षा ली जाएगी। लागू शुल्क वसूला जाएगा।
- 10 लाख रुपए तक के ऋण को मुद्रा ऋण के तहत रिपोर्ट किया जाएगा, अतएव किसी संपार्श्विक पर बल नहीं दिया जाएगा।

Scheme — Weaver's Credit Card (WMS)

Beneficiaries
- Weavers and ancillary workers involved in weaving activities in the handloom sector.

Purpose
- For working capital requirements as well as purchase of tools and equipment required for carrying out weaving activity.

Loan Quantum
- Minimum Rs.50,000/- Maximum Rs. 2,00,000/- for Individual handloom weaver/ Weaver Entrepreneur and for Handloom organization/ Entity borrowers Maximum Rs. 2.00 Crores (However, Loan up to Rs.10 Lac will be reported under Mudra loan).

Margin
- 20% of the loan amount

Assessment of Limit
- Working capital based on turnover method i.e. Bank finance will be 20% of turnover and 5% of turnover will be borrower's margin.
- Term loan to be assessed based on project cost and invoices, therefore.
- (Loan up to Rs.10 Lac-For the purpose of assessing eligibility, Mudra Scoring model as per Circular no. NBG/SMEBU-PMMY/28/2019-20 dated 24.07.2019 to be used).
- Other than Individual Borrower-As per Bank Norms

ROI
- Present effective rate = 8.15%+3.25% = 11.40% (w.e.f. 15.06.2025) for Individual Customers

Issue of Card
- Mudra Ru-pay card to be issued for working capital loan and all working capital will be paid through Mudra Rupay card (Max-Rs.10 Lac). Term loans will be disbursed in supplier's account.

Security: Primary Collateral
- Primary: Hypothecation of Assets financed by the Bank
- Collateral: The accounts will be covered under CGTMSE guarantee scheme. Ministry of Textiles has developed a portal for facilitating appropriation of Margin, Interest, Credit Guarantee fee and subsidy to the account of the beneficiary. Branches are not required to pay premium amount for guarantee coverage either by debiting the customers' account or Bank's account.
- Other than individual borrowers- Primary/collateral security will be taken as per Bank's norm. Applicable Charges to be recovered.
- Loan up to Rs.10 Lac to be reported under Mudra and hence no collateral to be insisted.

योजना

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)

लाभार्थी

- उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में संलग्न होने के लिए समुदाय के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त प्रदान करना ताकि वे अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार कर सकें
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थीओं को डीआईआर अग्रिमों का न्यूनतम 40% अग्रिमों का 2/3 भाग ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
- बैंक के लिए समग्र लक्ष्य: पिछले वर्ष की तुलना में बैंक के कुल अग्रिमों का 1%.

लक्ष्य

- कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ
- आवास
- व्यापार और अन्य सेवाएं
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकार की स्वच्छ भारत पहल के तहत कचरा एकत्र करने में आजीविका के अवसर मिले हैं, अन्य उद्देश्य।

ऋण की मात्रा

- गृह ऋण उद्देश्य के लिए: रु. 20,000/–
- अन्य उद्देश्यों के लिए: रु. 15,000/–

मार्जिन

- शून्य

चुकौती

- अधिस्थगन अवधि सहित 5 वर्ष

ब्याज दर

- साधारण दर पर 4% प्रति वर्ष।

क्रेडिट गारंटी

- सभी स्रोतों से उधारकर्ता की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 18000/– रुपये और शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र में 24000/– रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- भूमि जोत 1 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 2.5 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता अपनी भूमि जोत पर ध्यान दिए बिना वित्त के पात्र हैं

Scheme

Differential Rate Of Interest (DRI)

Beneficiaries

- To provide bank finance at a concessional rate of interest of 4 percent p.a. to the weaker sections of the community for engaging in productive and gainful activities so that they could improve their economic conditions
- Minimum of 40% of DIR advances to SC/ST beneficiaries. 2/3rd of the advances should be routed through Rural/Semi urban branch.
- Overall target for the Bank: 1% of the total advances of the bank as on previous year.

Purpose

- Agri and allied activities
- Housing
- Trade and other Services
- Individuals who have found livelihood opportunities in collection of garbage / waste under Swatch Bharat initiative of Government, Other purposes.

Loan Quantum

- For House Loan Purpose: Rs 20,000/-
- For Other Purposes : Rs 15,000/-

Margin

- Nil

Repayment

- 5 years including moratorium period

ROI

- 4% p. a. at Simple rate.

Credit Guarantee

- Family income of the borrower from all sources does not exceed Rs.18000/- in Rural area and Rs. 24000/- in Urban and Semi urban area per annum.
- Land holding not to exceed 1 acre of irrigated land or 2.5 acres of non- irrigated land.
- SC/ST borrowers are eligible for finance irrespective of their land holdings